न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/293

1. सरोज देवी यादव पत्नी विरेन्द्र कुमार यादव निवासी टपूकडा तहसील टपूकडा हाल जिला खैरथल–तिजारा।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टपूकडा।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, टपूकडा तहसील टपूकडा हाल जिला खैरथल–तिजारा दिनांक 01.07.2024 प्रकरण संख्या 93/2024

उपस्थित–

1. श्री सीताराम यादव वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–30.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा के निर्णय दिनांक 01.07.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम दांगनहेडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा स्थित आराजी खसरा नंबर 251. 256, 246 भूमि के संबंध में तहसीलदार टपूकडा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा खसरा नंबर 251 रकबा 0.33 है0 में से 0.0300 है0, खसरा नं. 256 रकबा 0.45 है0 में से 0.0050 है0, खसरा नं 246 रकबा 0.50 है0 में से 0.0100 है0 भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 01.07.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा के उक्त निर्णय दिनांक 01.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा दिनांक 01.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम दांगनहेडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा स्थित आराजी खसरा नंबर 251 रकबा 0.33 है0 के अपीलांट काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के एकपक्षीय आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं तथा अपीलान्ट खादारान को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, टपूकडा द्वारा की गई एक पक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी में वे एक पक्षीय रूप सेखसरा नं. 251 के बीचोबीच नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये है। प्रकरण में अपीलान्टको सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा न ही विधिक प्रक्रिया का ही कोई पालन किया गया। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किये रिपोर्ट प्रेषित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना खसरा नं. 251 के बीचोबीचनया रास्ता कायम करने के अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा 01.07.2024 अपीलांट की हद तकनिरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही तहसीलदार टपूकडा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम दांगनहेडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा स्थित आराजी खसरा नंबर 251 रकबा 0.33 भूमि के संबंध में तहसीलदार टपूकडा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उपरोक्त आराजीयात के अपीलांट काबिज रिकाड्रेड खातेदार है एवं अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नं. 251 रकबा 0.33 है0 में

संभागीय आयुक्त

से बीचोबीच से रास्ता निकाला गया है जो कि अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कथित रास्ता कहाँ से कहाँ व किस नम्बर में से होकर गुजरता है, इसका अंकन नहीं किया गया है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस दिया और ना ही किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही अपीलांट द्वारा कोई किसी प्रकार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से अपीलांट की हद तक खारिज किये जाने योग्य है।

अतः **आदेश** है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा का निर्णय दिनांक 01.07.2024 अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।